राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक-प. 2(157)कार्मिक/क-3/97 जयपुर, दिनांक- 12-9-2001

समस्त प्रमुख शासन सचिव/

शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)।

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र संख्या 2(157)कार्मिक/क-3/97 दिनांक 30.5.2001 के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा राज्य सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति एवं विभागीय कार्यवाही हेतु राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों को भेजे जाने वाले प्रकरणों एवं इन प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने या विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मुख्य सतर्कता आयुक्त की भूमिका स्पष्ट करते हुए प्रक्रिया निश्चित की गई थी।

उपरोक्त परिपत्र के सम्बन्ध में यह शंका प्रकट की गई है कि क्या इस परिपत्र में निश्चित की गई प्रक्रिया राज्य सरकार के निगमों, कम्पनियों, मण्डलों एवं अन्य स्वायत्त निकायों में कार्यरत राज सेवकों पर भी लागू होगी। अतः उपरोक्त शंका के सम्बन्ध में विचार कर सभी सम्बन्धितों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र के द्वारा निश्चित की गई प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा निगमों, कम्पनियों, मण्डलों एवं अन्य सभी स्वायत्त निकायों में कार्यरत राज सेवकों पर भी समान रूप से लागू होगी।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1 मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2 सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, कार्मिक मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी निगम/कम्पनियां/मण्डल एवं अन्य स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव